

# पिकअप पलटी, 14 महिलाओं सहित 26 जने घायल

## हादसे के बाद मौके पर घायलों की चीख-पुकार मच गई

भीलवाड़ा। पड़ोसी जिले शाहपुर के पारोली थाना इलाके में बुधवार सुबह टायर फटने के बाद एक पिकअप पलट गई।



पिकअप पलटने से घायल लोगों का अस्पताल में उपचार किया गया।

हादसे में 14 महिलाओं सहित 26 लोग घायल हो गये। मौके पर घायलों की चीख-पुकार मच गई। आस-पास मौजूद लोगों व पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल ले जाया गया, जहां से करीब दस घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

पारोली पुलिस ने बताया कि माली समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी। बुधवार सुबह अंतिम संस्कार होने से मृतक के रिश्तेदार रण गांव से पिकअप में सवार होकर पारोली के लिए खाना हुए। यह पिकअप पारोली क्षेत्र में भूणाजी का झोंपड़ा चौराहे के पास पहुंची थी कि अचानक चलती पिकअप का पिछला टायर फट गया, जिससे यह पिकअप सड़क पर पलट आई और 20 से 25 फीट तक सड़क पर घसीटी गई। इसके चलते पिकअप में सवार लोग सड़क पर गिरने के बाद पिकअप से टकराकर घायल हो गये। करीब 26 लोग चोटिल हो गये। इनमें 14 महिलायें शामिल हैं। आस-पास मौजूद लोगों के साथ ही सूचना पर पहुंची पारोली पुलिस ने घायलों को पारोली अस्पताल पहुंचाया, जहां 10 घायलों को गंभीर चोट लगने से उन्हें

पीलवावा के महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जबकि शेष का वहीं उपचार किया जा रहा है। एमजी अस्पताल में एक बुजुर्ग भुवना (60) पुत्र देवीलाल माली की मौत हो गई। हादसे में घायल मोहन (60) पुत्र मांगू माली, लादू

(30) पुत्र भुवना माली, लादू (68) पुत्र पेमा माली, किशन (14) पुत्र भंवर माली, गोपाल (40) पुत्र चुना माली, मांगू (45) पुत्र छींर माली, कमली (55) पत्नी बद्रीलाल माली, कोयली (45) पत्नी हीरा माली, मानी (11) पुत्री भैरू माली,

- पारोली पुलिस ने बताया कि माली समाज के एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई
- पिकअप का पिछला टायर फटने से पिकअप सड़क पर पलट गई

कमली (40) पत्नी शंकर माली, छोदू (25) पुत्र चुना माली, उदी (45) पत्नी भैरू माली, कांता पत्नी कालू माली, आशा (25) पत्नी लाला माली, महेंद्र (28) पुत्र रामेश्वर माली, काली माली (40), कैलाश (30) पुत्र डूंगर माली, फौरी (25) पत्नी छोदू माली, गुलाबी (40) पत्नी उदालाल माली, गोपाली (30) पत्नी राजू माली, रामकन्या (50) पत्नी भैरू माली, उदय लाल (55) पुत्र गुलाब माली, बद्री (50) पुत्री श्रीराम माली, गीता (22) पत्नी खाना माली, सायरी (40) पत्नी बद्री माली का हॉस्पिटल में उपचार जारी है।

# अनियंत्रित होकर बाइक घुसी ट्रौले में, दोनों की मौत

## बाइक और मोबाइल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए

गंगापुर सिटी। जयपुर हाईवे पर बुधवार सुबह बाइक आगे चल रहे ट्रौले में जा चुसी। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर घायल हो गए। सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया। जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के आने के बाद पोस्टमॉर्टम करारकर पुलिस ने शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

जानकारी के अनुसार बाढ़ गहनौली निवासी मोनू वैष्णव (22) पुत्र पुरुषोत्तम और मनमोहन वैष्णव (20) पुत्र मुरारी लाल दोनों बाइक से गंगापुर सिटी पानी की मोटर का सामान लेने के लिए आ रहे थे। इस दौरान गंगापुर सिटी-जयपुर रोड पर बाढ़ कला गांव के पास सुबह करीब 9:30 बजे बाइक बेकाबू हो गई और आगे चल रहे ट्रौली से जा टकराई। जिसके कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक और मोबाइल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो

गए। मौके पर मौजूद लोगों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस 108 ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद घटना का पता चलने पर सदर थाना पुलिस गवर्नमेंट अस्पताल पहुंची।

सदर थाने के एसआई दाताराम ने बताया कि घटना के बारे में परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों के आने के बाद दोनों का पोस्टमॉर्टम करारकर सब परिजनों के सौंप दिया गया।

## नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, 47 हजार का अर्थदण्ड

कोटा, (निर्स)। नाबालिग से दुष्कर्म के 22 माह पुराने मामले में पाँक्सो कोर्ट क्रम-3 ने आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट को दोषी मानते हुये 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 47 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया है कि 16 वर्षीय पीडिता से मोबाइल पर फेसबुक के जरिये आरोपी युवक ने दोस्ती बढ़ाई और जनवरी 2023 में युवक ने अपने किराये के कमरे में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील विडियों बना लिया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी और पीडिता एक ही गांव के थे जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके संबंध बनाये थे। मामले का पता चलने पर नाबालिग के पिता ने 11 अप्रैल 2023 को महावीर नगर थाने में इसकी शिकायत दी थी। शिकायत के आधार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी नर्सिंग स्टूडेंट को गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट में 19 गवाह व 42 दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

# कैमिकल युक्त जहरीला पानी रोकने लुधियाना कूच करेंगे

## तीन दिसम्बर को सैकड़ों लोग बसों से सुबह 6 बजे साधुवाली लिंक चैनल पहुंचेंगे वहां से एकजुट होकर लुधियाना की ओर कूच करेंगे

गजसिंहपुर, (कासं)। जहर से मुक्ति आंदोलन के तत्वावधान में सिंहसभा गुरुद्वारा में किसान, मजदूर व व्यापारी संगठनों की बैठक संयुक्त बैठक हुई। जहरीले व कैमिकल युक्त पानी की रोकथाम के लिए 3 दिसम्बर को लुधियाना जाने का निर्णय लिया गया। सैकड़ों लोग बसों के माध्यम से सुबह 6 बजे साधुवाली लिंक चैनल पहुंचेंगे वहां से एकजुट होकर लुधियाना की ओर कूच करेंगे।

आंदोलन के संयोजक मनिन्द्र सिंह मान ने कहा पंजाब सरकार ने जहरीले पानी के उपाय के लिए करोड़ों रूपये की लागत से एसटीपी संयंत्र लगाए हैं लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे जहरीले पानी को किसी भी तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा हमारी मांग स्पष्ट है कि सतलुज में बुझा नाला से प्रवाहित प्रदूषित जल को ट्रीट करके भी नहीं डाला जाना चाहिए। वहीं उन औद्योगिक इकाईयों को बंद करना चाहिए जो सतलुज नदी को प्रदूषित कर रही हैं।

रविन्द्र तरखान ने कहा कि आजादी के 78 साल बाद भी पंजाब और राजस्थान के कबीर 3 करोड़ लोगों पीने का शुद्ध पानी मुहैया कराने में सरकारों की नाकामी रही है व नदियों को प्रदूषित होता देख रही हैं। उन्होंने कहा सतलुज पर आश्रित पूरा क्षेत्र कैसर, काला पीलिया और असाध्य रोगों व केन्द्र बन रहा है। इस मौके पर किसान नेता गुरचरण सिंह मोड़, राकेश शर्मा, नगर पालिका चेयरमैन चमकौर सिंह रामगढ़िया, मेघराज खत्री, मजदूर नेता कश्मीरी लाल, हंसराज गोदारा, व्यापारी राम बजाज व नगर पालिका के कुछ पार्षद भी बैठक में शामिल थे।

# सिन्धु दर्शन यात्रा के लिए मिलेगी 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता

## सिन्धी समाज के लिए राज्य सरकार का तोहफा

अजमेर, (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आठवा पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिन्धी समाज को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह-लद्दाख सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15 हजार रूपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिन्धु दर्शन यात्रा में चार दिन तक लेह-लद्दाख में धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा यह यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है।

- विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया था मुख्यमंत्री से आग्रह
- सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र यात्रा मानी जाती है सिन्धु दर्शन यात्रा
- लेह-लद्दाख में चार दिन होते हैं आयोजन, 12 दिन चलती है यात्रा

यात्रा 18 जून से जम्मू एवं कुरुक्षेत्र से प्रारम्भ होती है तथा 30 जून को इसका अधिकारिक समापन होता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को ज्ञापन देकर आठवा किया था कि सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी अन्य तीर्थ यात्राओं की तरह आर्थिक सहायता दी जाए। इस

पर निर्णय करते हुए राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए 15 हजार रूपए प्रति यात्री की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

गौरलाल है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सिन्धु दर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। प्रतिवर्ष यह यात्रा 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में

आयोजित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलम्बी भाग लेते हैं। वेद, शास्त्र एवं धार्मिक मान्यताओं में सिन्धु नदी का बड़ा महत्व है। लगभग सभी ठाणों में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रगान में भी सिन्धु नदी का उल्लेख है। सिन्धी समाज में भी इष्ट देव श्री झुलेलाल जी के अवतार का जल से संबंध है। सिन्धी समाज में यह यात्रा सिन्धी धर्मावलम्बीयों के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। प्रतिवर्ष देश के लगभग 25 राज्यों से सिन्धी धर्मावलम्बी इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा जम्मू एवं कुरुक्षेत्र से प्रारम्भ होती है एवं लगभग 12 दिन चलती है। यात्रा में लेह-लद्दाख में विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।

# 9वीं से 12वीं की परीक्षा 17 दिसंबर से

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक अर्द्धवार्षिक परीक्षा 17 दिसम्बर से शुरू होगी जो 27 दिसम्बर तक चलेगी। राज्य में पहली बार एक साथ हो रहे हाफ ईयरली एजाम का टाइम टेबल जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सर्दी की छुट्टियों 25 दिसम्बर से शुरू नहीं होगी। सभी स्कूल में प्रैक्टिकल एजाम 12 से 16 दिसम्बर के बीच आयोजित किए जायेंगे। अब तक समान परीक्षा जिला स्तर पर होती थी, जिसके लिए जिले के किसी एक स्कूल को जिम्मा सौंपा जाता था। पेंपर भी जिला स्तर पर तैयार होते थे और प्रकाशित होते थे। लेकिन अब पूरे राज्य में एक ही पेंपर से एजाम होगा। ऐसे में पेंपर प्रिंटिंग का काम भी एक ही फर्म के माध्यम से किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी की ओर से जारी

■ प्रैक्टिकल एजाम 12 से 16 दिसम्बर के बीच आयोजित होंगे

आदेश में कहा गया है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्राइवेट स्कूल में पेंपर नहीं रखे जायेंगे। ये पेंपर सरकारी स्कूल में रहेंगे, जहां से सभी प्राइवेट स्कूल को निर्धारित समय पर प्राप्त करने होंगे। अगर सरकारी स्कूल में भी सुरक्षा पर संदेह है तो संबंधित पुलिस थाने में पेंपर रखे जा सकते हैं। हाफ ईयरली एजाम के लिए हर स्टूडेंट से 20 रूपए फीस ली जायेगी। इसके अलावा ईयरली एजाम के लिए भी फीस साथ में ली जा सकेगी। संयुक्त निदेशक ये फीस पूर्व में गठित समान पारोखा संचालन समिति के माध्यम से एकत्रित करके पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा के खाते में जमा करवायेंगे।

# शुंझुनू में फर्जी पोस्टमार्टम के बाद अब फर्जी एफआईआर बाल कल्याण समिति ने करवा दिया पोक्सो का फर्जी मुकदमा, नाबालिग ने किया खुलासा

शुंझुनू, (निर्स)। चुरू के महिला पुलिस थाने में पिछले महीने एक नाबालिग द्वारा शुंझुनू के एक पत्रकार, एक बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारी, एनजीओ संचालक समेत छह जनों के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर को लेकर नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस कथित शुंझुनू निवासी पोक्सो पीडिता को मां को सुपुर्द किए जाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद पीडिता ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा था कि उससे बाल कल्याण समिति शुंझुनू की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां खाली कारगों पर साइन करवाकर ले गई और उसने किसी प्रकार का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। इससे पहले कथित पोक्सो पीडिता की मां करीब डेढ़ महीने तक बाल कल्याण समिति और अधिकारियों के चक्कर लगाती रही। वह लगातार अपनी बेटी की सुपुर्दगी के लिए गुहार लगाती रही। लेकिन बाल कल्याण समिति ने मां को उसकी बेटी सुपुर्द नहीं की। जिसके बाद हाईकोर्ट की डवल बैंच ने मां को तत्काल बेटी

को मां को सुपुर्द करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट में युवा अधिवक्ता नितिन चौमाल व अधिवक्ता कविश दुवे ने पैरवी की। इधर, मामले बिगड़ा तो बाल कल्याण समिति शुंझुनू की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आधा कार्ड में उलझी समिति, एफआईआर पर कुछ नहीं किया :- इस मामले में बाल कल्याण समिति शुंझुनू की भूमिका इसलिए भी संदिग्ध हो जाती है कि बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष कमला व सदस्य सभी एक ही बात दोहरा रहे हैं कि नाबालिग को मां आधार कार्ड या फिर अपनी पहचान का कोई दस्तावेज नहीं पेश कर रही थी। जबकि स्वयं समिति ने विभागीय अधिकारियों से एफआईआर रिपोर्ट तैयार करवाई थी। जिससे ना केवल मां के, बल्कि पड़ोसीयों तक में बातचीत कर रिपोर्ट तैयार की गई। जो सकारात्मक था। बावजूद इसके बाल कल्याण समिति ने नाबालिग का संरक्षण

■ फंसे तो बोले- हमने नहीं एसपी ने करवाया

उसकी मां को नहीं दिया। चुरू एसपी और शुंझुनू कलेक्टर को लेकर कहीं बात :- बाल कल्याण समिति शुंझुनू की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कहा कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एसपी ने कहा कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। एसपी चुरू के द्वारा महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इधर, नाबालिग की मां के प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए एक आदेश में बाल कल्याण समिति ने लिखा है कि चुरू एसपी ने शुंझुनू कलेक्टर के आदेश पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इस सवाल पर शर्मिला पुनियां ने कहा कि कलेक्टर शूट भी बोल सकते हैं। हमारे पास कलेक्टर के आदेश हैं।

पिछले साल भी करवाई थी एफआईआर :- बाल कल्याण समिति शुंझुनू का कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने एफआईआर दर्ज करवाया है। जो पुलिस जांच में झूठी मिली थी। बावजूद इसके अब शुंझुनू का कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जो पुलिस जांच में झूठी मिली थी। बावजूद इसके अब शुंझुनू का कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जो पुलिस जांच में झूठी मिली थी। बावजूद इसके अब शुंझुनू का कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पुनियां ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। जो पुलिस जांच में झूठी मिली थी।

कि हमने जो कार्रवाई की। जो हमारे दिमाग से नियमानुसार किया है। ना तो हमारा मकसद था कि बच्ची को परेशान करें। उन्होंने कहा कि जब नाबालिग की मां आई थी तो उसके पास ना तो आधार कार्ड था और ना ही राशन कार्ड। जब उनसे मांग तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है हमारे पास। बच्ची ना अब क्या कहा है। उस पर मैं नहीं जाना चाहता। बातचीत में हरफूल सिंह ने बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा तैयार की गई एफआईआर रिपोर्ट में ना तो आधार कार्ड आया और ना ही राशन कार्ड। लगातार सवाल से फंसे हुए हमनीराम ने अंत में यही कहा कि मैं फाइल देखकर ही बताऊंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। धन्यवाद। रामावतार मीणा, कलेक्टर, शुंझुनू ने बताया कि मेरे पास एक पत्र आया था। जो मैंने उसी वकत वापिस लौटा दिया था। ना ही मैंने कोई आदेश दिए थे और ना ही निर्देश। बाल कल्याण समिति शुंझुनू ने अपने आदेश में ऐसा लिखा है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसकी जांच करवाएँ।